

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019/एस-1871

जयपुर, दिनांक : 15.03.2019

आदेश


डा. शेखर शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (क्षयरोग), टीबीसी ब्यावर, अजमेर का बकाया एवं माह मई, 2019 तक का वेतन टीबीसी ब्यावर, अजमेर में उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, अजमेर
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
- 6- डा. शेखर शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (क्षयरोग), टीबीसी ब्यावर, अजमेर
- 7- रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव